

अपीलार्थी:-

डॉ. राजेन्द्र भाटी पुत्र श्री फतेहसिंह भाटी,
माँ बाला सती लॉ एसोसियेट्स रावत
शॉपिंग मॉल, बाल मन्दिर स्कूज के पास,
दूगड विद्यालय रोड, मुख्य बाजार
सरदारशहर, जिला चूरु(राज0)

प्रत्यर्थी:-

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला
कलक्टर (द्वितीय), अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

---: निर्णय ::---

दिनांक:- 24.08.2020

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 25.11.19 के माध्यम से आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दुवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वाँछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 15.06.2020 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ।
5. कोराना वायरस (Covid-19) वैश्विक महामारी से संक्रमण के मध्येनजर उक्त बीमारी के फैलाव की रोकथाम में अतिव्यस्तता के कारण पत्रावली का आज अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 717 दिनांक 19.06.2020 के माध्यम से जबाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि वाँछित सूचना बेहद विस्तृत, श्रमसाध्य व समयसाध्य होने के कारण आवेदन दिनांक 25.11.19 के संबंध में रिकॉर्ड का अवलोकन कर सूचना चिन्हित करे, किन्तु अपीलार्थी द्वारा उक्त संबंध में रिकॉर्ड का अवलोकन नहीं किया जाकर/सूचना संक्षिप्त नहीं की जाकर बार-बार विविध प्रा0पत्रों के माध्यम से सूचना चाही जा रही है, जिसे अधिनियम 2005 की धारा 7(9) के आलोक में विस्तृत सूचना होने व रिकार्ड से छंटनी कर उपलब्ध कराने वाली सूचना होने के कारण उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। अपीलार्थी को इस बाबत लोक सूचना अधिकारी के द्वारा पत्रांक 716-17 दिनांक 19.06.20 से सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। अतः अपील निरस्त करने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 24.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

(आनन्दी)

जिला कलक्टर, अलवर
(राज0)